GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
***

No.E(NG)I-85-PM1-13(RRC) New Delhi, dated 4-11-1987.

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Recommendations of Railway Reforms Committee - conditions for promotion withing Group'C' - instructions regarding.

Reference this Ministry's letter of even number dated 19.2.87 stipulating inter-alia that for promotion within Group'C' staff should render a minimum of two years service in the immediate lower grade for being eligible for promotion to higher grade.

2. References have been received from same Railway Administrations seeking clarifications with reference to instructions contained in this Ministry's letter referred to above. The same have been considered. The points raised for clarification and the clarification thereon are given below in juxta-position :-

S.No.	Points raised	Clarification
1.	Whether the zone of consideration for promotion to selection posts is required to be confined to the immediate lower grade and instructions existing prior to issue of these instructions permitting staff being considered from two grades below, stand superseded.	Yes.
2.	If the answer to (1) above is in affirmative, whether the instructions dated 19.2.87 will also apply to posts like Welfare Inspectors, Law Assistants etc. for which AVC has been laid down by the Board permitting staff with prescribed qualifications and length of service requirements being considered from grades below the immediate lower grade also.	In respect of categories of posts for which the mode of filling up the vacancies has been laid down by the Board, the said instructions may continue to be followed not-withstanding the instructions contained in their letter dt. 19.2.87.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय [रेलवे बोर्ड]

सं0 ई[एन जी]।-85-पी एम1-13[आर आर सी] नयी दिल्ली, दि0 4-11-87

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें ।

विषय:- रेल सुधार समिति की सिफारिशें -- ग्रुप"सी" में पदोन्नति की शर्तें -- तत्संबंधी अनुदेश ।

यह पत्र इस मंत्रालय के 19-2-87 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित है कि ग्रुप"सी" में पदोन्नति के लिए कर्मचारी को उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का पात्र बनने के लिए निकटतम निम्न ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की सेवा करनी चाहिए ।

2. कुछ रेल प्रशासनों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस मंत्रालय के ऊपर उल्लिखित पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है । उन पर विचार किया गया है । स्पष्टीकरण के लिए उठाये गये मुद्दे तथा उन पर दिया गया स्पष्टीकरण नीचे आ[मने] सामने दिया जाता है:-

क्रम सं0	उठाये गये मुद्दे	स्पष्टीकरण
1.	क्या प्रवर पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किये जाने का क्षेत्र निकटतम निचले ग्रेड तक ही सीमित रखा जाना है तथा इन अनुदेशों के जारी होने से पूर्व प्रचलित अनुदेशों, जिनमें दो ग्रेड नीचे से कर्मचारियों पर विचार किये जाने की अनुमति थी, का अतिक्रमण हो जाता है?	हां
2.	यदि आर[1] का उत्तर हां में है तो क्या 19-2-87 के अनुदेश कल्याण निरीक्षकों विधि सहायकों आदि जैसे पदों पर भी	उन पदों की कोटियों के संबंध [में] जिनकी रिक्तियां भरने की [विधि] बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी

.....2/-

3.	Whether the instructions contained in Board's letter dated 19.2.87 should apply to selections in process as on the date of issue of these instructions.	There is no objection to selections already notified on the date of issue of these instructions being finalised, in terms of instructions in force at the relevant point of time in so far as the provisions of the letter of 19.2.87 are concerned

3. Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
Joint Director, Estt.(N),
Railway Board.

No.E(NG)I-85-PM1-13(RRC) New Delhi, dated -10-1987.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, N.Delhi-55.
2. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, N.Delhi-55.
3. The Members of National Council/Departmental Council and the Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.

for Secretary, Railway Board.

Copy to:-

PSs to MS and Adviser/IR;
SPAs to EDE, EDV, EDPC I&II, DE(P&A), EDE(Res), DE(N), DE(C), DE(T&MPP), JDE(N), JDE(R)I, JDE(R)II, DDE(D&A), DDE(R)I, II, DDE(SCT), DD(Code Revision), DDE(G)II & DDE(N);
E(NG)II, E(Rep)I, II & III, E(SCT)I & II, E(G)(with one spare), PC-III & IV, E(P&A)I & II, Vig.-II. ER-II.

	लागू होंगे जिनके लिए बोर्ड द्वारा ए वी सी निर्धारित की गयी है जिनमें निर्धारित अर्हताएं तथा अपेक्षित सेवाकाल वाले तत्काल निचले ग्रेड से नीचे के ग्रेडों के कर्मचारियों के बारे में भी विचार किये जाने की अनुमति दी गयी है ।	19-2-87 के पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के बावजूद, उक्त अनुदेशों का अनुपालन किया जाता रहेगा ।
3.	क्या बोर्ड के 19-2-87 के पत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेश इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख को प्रक्रियाधीन प्रवरणों पर भी लागू होंगे ?	जहां तक 19-2-87 के पत्र के उपबन्धों का संबंध है किसी संगत समय पर लागू अनुदेशों के अनुसार इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख को पहले से अधिसूचित प्रवरणों को अंतिम रूप देने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3. कृपया पावती दें ।

[के0 बी0 लाल]
संयुक्त निदेशक, स्थापना [अराज]
रेलवे बोर्ड ।

सं0 ई [एन जी] I-85-पी एम 1-13 [आर आर सी] नयी दिल्ली, -10-87

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली तथा
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।